केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00048
CICOM/R/P/21/00033

अपीलकर्ता : श्री सुखराम बंसल
म.नं. 1/10602, तृतीय तल
गली नं. 3, सोमा गली, नवीन शाहदरा
दिल्ली - 110032.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.01.2021
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	11.02.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रावर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to IC (HS)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.02.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	02.03.2021
निर्णय की तारीख	23.03.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/EDMCD/A/2018/170156, CIC/EMCDN/A/2019/116079, CIC/EMCDN/A/2019/111462, CIC/EMCDN/A/2019/111461, CIC/EMCDN/A/2019/110308, CIC/EMCDN/A/2019/110307, CIC/EMCDN/A/2019/110306, CIC/EMCDS/A/2019/155683 के अनुपालन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश दिनांक 01.07.2020 के संबंध में जन सूचना अधिकारी/इक्जीक्यूटिव इंजि0 (Build –II) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, शाहदरा द्वारा आयोग के पास सम्मिलित किए गए Action Taken Report की सत्यापित फोटोस्टेट प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं ।
2. केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश दिनांक 01.07.2020 के संबंध में जन सूचना अधिकारी/इक्जीक्यूटिव इंजि0 (Build –II) पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित अवधि (30.09.2020) के बीत जाने पर Action Taken Report आयोग के समक्ष प्रस्तुत न करने पर इनके विरुद्ध आयोग के द्वारा की गई कार्यवाही की Action Taken Report की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए ।

प्रदान की गई सूचना

2. आयोग के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to IC (HS) द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00033 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित बिंदुवार सूचना प्रेषित की गई है/-

1. Certified copy of the action taken report received in the Commission vide dairy No. 127299 dated 16.09.2021 and 129152 dated 30.09.2021 is enclosed.
2. As above.

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 MAR 2021
D. No.........
Initials.........

---2/-

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील में उल्लेख किया है कि 'अपीलकर्ता को दिनांक 11.02.2021 के जवाब पत्र में पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नार्थ जोन, शाहदरा द्वारा 28.09.2020 की Inquiry Report एवं Status Report भेजी गई है' साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नार्थ जोन, शाहदरा द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई Inquiry Report एवं Status Report दिनांक 28.09.2020 CIC के आदेश दिनांक 01.07.2020 के अनुसार नहीं है एवं Incomplete एवं Not Satisfactory है तथरा CIC के अनुसार Action taken report भी नहीं पेश की है' ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 11.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं.1 से संबंधित प्रदान की गई सूचना में dairy No. 127299 dated 16.09.2021 and 129152 dated 30.09.2021 का उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त तिथि अभी आई भी नहीं है तथा बिंदु सं. 2 के तहत प्रदान की गई सूचना भी मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है । इसलिए आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to IC (HS) को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आर.टी.आई. आवेदनों का निपटान सावधानी पूर्वक किया जाए तथा आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के संदर्भ में निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर मांगी गई सूचना का पुन: अवलोकन कर वांछित सूचना अपीलकर्ता का उपलब्ध करवाई जाए ।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नार्थ जोन, शाहदरा द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वितीय आदेश के अनुपालन में उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों पर कोई कार्यवाही करना प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायिक क्षेत्र से परे है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 23 मार्च, 2021.

मीना शर्मा 23/3/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

dl

25/3/21

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, CPIO & DO to IC (HS), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

24/03/2021